कार्यालय उप वन संरक्षक, झुन्झुनूं

क्रमांकः–एफ( )उवसझुं / सर्वे / 2020 / 8688 दिनांकः– 02/9/2020

मुख्य वन संरक्षक
अरावली भवन,
जयपुर।

विषयः–Construction of 765 KV D/C Khetri-Jhatikara Transmission line (Rajasthan portion) under transmission system Associated with LTA Application from Rajasthan solar energy zone, part- C.

संदर्भः–ऑनलाईन डायवर्जन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/45462/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि एवं ऑनलाईन डायवर्जन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/45462/2020 में निवेदन है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा उक्त डायवर्जन प्रस्ताव 2.2401 हैक्टेयर का प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव में पावरग्रिड खेतडी के लिये सब स्टेशन निर्माण हेतु पूर्व में ही 35.1938 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है। पूर्व में प्रत्यावर्तित वन भूमि में इस ट्रांसमिशन लाईन का सब स्टेशन की सीमा के अंदर 0.8875 हैक्टेयर क्षेत्र आता है जिसे प्रस्ताव में शामिल करवाने हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.08.2020 को ईडीएस अपलोड किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में यूजर ऐजेन्सी द्वारा यह बताते हुए क्षेत्र को शामिल नहीं किया कि सब स्टेशन के अंदर आ रहा भाग सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईन का इंटरकनेक्शन भाग है, इसी कारण इस कार्यालय द्वारा 0.8875 हैक्टेयर को छोडते हुए यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत 2.2401 हैक्टेयर के डायवर्जन प्रस्ताव एवं सीए डीएफएल 4.4802 हैक्टेयर को अग्रेषित किया जा रहा है लेकिन 0.8875 हैक्टेयर री डायवर्जन क्षेत्र को यूजर ऐजेन्सी द्वारा ईडीएस डाले जाने के पश्चात एवं लैण्ड यूज परिवर्तन होने के बावजूद डायवर्जन प्रस्ताव में शामिल नहीं करने के संबंध में एफसीए 1980 गाईडलाईन के तहत पुनः परीक्षण करवाया जाना आवश्यक है, जबकि ट्रांसमिशन लाईन के एक अन्य प्रकरण संख्या FP/RJ/TRANS/45697/2020 Bikaner- Khetri Transmission line 765 kV D/C में इस कार्यालय द्वारा ईडीएस डाले जाने पर दिनांक 02.09.2020 को पूर्व में पावरग्रिड सबस्टेशन के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि में इस ट्रांसमिशन लाईन के सब स्टेशन की सीमा के अंदर आ रहे 0.8367 हैक्टेयर क्षेत्र को री–डायवर्जन के लिये डायवर्जन प्रकरण में शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया है।एफआरए प्रमाण पत्र के लिये अंडरटेकिंग दी गयी है कि जल्द ही इसको पस्तुत कर दिया जायेगा व सेंट्रल पब्लिक सैक्टर प्रोजेक्ट के लिये गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं बतायी है। इसी कारण इस कार्यालय द्वारा डबल डिग्रेडेड वन भूमि का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्लान वनभूमि की सीए मॉडल के अनुसार तैयार कर खसरा नक्शा, जीटी शीट मैप, केएमएल फाईल अपलोड कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव चार प्रतियों में संलग्न प्रस्तुत है।

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं

क्रमांकः–एफ( )उवसझुं / सर्वे / 2020 / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर
2. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक, पावरग्रिड खेतडी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, रेवाड़ी
3. सहायक वन संरक्षक, झुन्झुनू
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुन्झुनूं

Letter 2019@Dcfjjn